अनुदान संख्या 50 - भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 50–DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	308,80,00	1960,01,00	776,30,54	–1183,70,46
पूरक	Supplementary	1651,21,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1183,22,93
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	560,30,00	790,34,00	776,41,92	–13,92,08
पूरक	Supplementary	230,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,88,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (118370.46 लाख रु.) अगस्त, 2005, दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 165121.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 72 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:--

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.118370.46 lakhs) constituted 72 percent of the supplementary grants of Rs.165121.00 lakhs obtained in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 and 60 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	30059.00	76899.07	76896.46	–2.61
पू.	S.	165121.00			
पु.	R.	–118280.93			

(I) 115704.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 115703.00 लाख रु. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - भारी इंजीनियरी निगम लि''- 110103.00 लाख रु. का पूरक अनुदान पुन: प्रवर्तन योजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय - भारत अर्थ मूवर्स लि. को सहायता प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान की स्कीमें'' - 5600.00 लाख रु. रक्षा मंत्राालय द्वारा परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों (भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड) की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में ब्याज आर्थिक सहायता/कर्जों को बट्टे खाते डाले जाना'' - 26164.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थीं तथापि, जो राजस्व भाग में गलत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए पूरक अनुदान के कारण 2000.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं और अंतत: उन्हें अभ्यर्पित कर दिया गया।

(खा) ''उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक'' - 6902.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं तथापि, जो कर्ज को बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में पूरक अनुदान में अधिक निधियां प्राप्त किए जाने और ब्याज का गलत परिकलन किए जाने के कारण 270.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं और अंतत: उन्हें अभ्यर्पित कर दिया गया।

(III) ''सामान्य - औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण - कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए अनुदान'' के अंतर्गत 133.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के प्राप्त न होने और निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.115704.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.115703.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(A) "Engineering Industries – Other Engineering Industries - Heavy Engineering Corporation Ltd."- supplementary grant of Rs.110103.00 lakhs - due to non-approval of Revival Plan.

(B) "General – Other Expenditure - Schemes of Grants–in–aid to Support to Bharat Earth Movers Ltd." - Rs.5600.00 lakhs - due to non-approval of projects by the Ministry of Defence.

(II) Supplementary grant remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Engineering Industries - Other Engineering Industries - Interest subsidy/write off of Loans as part of approved restructuring plan of PSEs (Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.)" - funds of Rs.26164.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2000.00 lakhs - due to supplementary grants obtained under wrong major head in the revenue section and was subsequently surrendered.

(B) "Consumer Industries - Others - Salts" - funds of Rs.6902.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.270.00 lakhs - due to excess funds obtained in supplementary grants towards write off of loan and wrong calculation of interest and was subsequently surrendered.

(III) Under "General-Industrial Education, Research and Training - Grants for Coal Gassification Project" - saving of Rs.133.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and less requirement of funds.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 161.81 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 37 प्रतिशत थीं।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, पांच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 15648.07 लाख रु. के अधिक व्यय की तुलना में दो मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 17040.15 लाख रु. की बचतें हुईं जिसके परिणामस्वरूप 1392.08 लाख रु. की कुल बचतें हुईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(IV) Under two heads savings of Rs.161.81 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent and 37 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, savings of Rs.17040.15 lakhs occurred under two major heads against excess of Rs.15648.07 lakhs under five major heads resulting in overall savings of Rs.1392.08 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	4060.00			
पु.	R.	–4060.00	. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष ''4854'' सीमेंट और धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4854" Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	1250.00			
पु.	R.	504.50	1754.50	1754.50	. .
मुख्य शीर्ष ''4858'' इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries					
मू.	O.	5680.00			
पू.	S.	1003.00	7494.50	7491.50	–3.00
पु.	R.	811.50			

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4860'' उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries					
मू.	O.	397.00			
पू.	S.	1.00	788.00	787.00	–1.00
पु.	R.	390.00			
मुख्य शीर्ष ''6854'' सीमेंट और धातुरहित खनिज उद्योगों के लिए कर्ज Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	15150.00			
पू.	S.	11600.00	13769.85	13769.85	. .
पु.	R.	–12980.15			
मुख्य शीर्ष ''6858'' इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज Major Head "6858" Loans for Engineering Industries					
मू.	O.	29093.00			
पू.	S.	10400.00	49188.65	49188.57	–0.08
पु.	R.	9695.65			
मुख्य शीर्ष ''6860'' उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज Major Head "6860" Loans for Consumer Industries					
मू.	O.	400.00			
			4650.50	4650.50	. .
पु.	R.	4250.50			

(I) 67951.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 67950.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.67951.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.67950.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "6854" - "अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों की पुन:प्रवर्तन स्कीमों का कार्यान्वयन"- 26600.00 लाख रु. (दिसम्बर, 2005 में प्राप्त किए गए 11600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों के बीच पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "6854" – "Others – Other Loans – Implementation of revival schemes of PSEs" – Rs.26600.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.11600.00 lakhs obtained in December, 2005) – due to re-appropriation among various Public Sector Undertakings.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 4060.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "4552" – "Other Expenditure– Provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs. 4060.00 lakhs – due to re-appropriation to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष "4854" - "अन्य - अन्य व्यय" -

(C) Major Head "4854" – "Others - Other Expenditure" –

(क) "सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों की निरंतर व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए निर्णायक संतुलित निवेश" - 400.00 लाख रु.; और

(a) "Crucial Balancing Investments for sustained viability of PSEs" – Rs.400.00 lakhs; and

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों में परिवर्धन, आशोधन तथा प्रतिस्थापन के लिए निवेश"- 700.00 लाख रु.।

(b) "Investment for Addition, Modification and Replacement in PSUs"- Rs.700.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान तात्कालिक योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों में पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation to various Public Sector Undertakings for implementation of urgent Plan Schemes.

(घा) मुख्य शीर्ष "4858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में निवेश" - 1690.00 लाख रु. तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारी इंजीनियरी निगम लि. को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(D) Major Head "4858" – "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Bharat Earth Movers Ltd." - Rs.1690.00 lakhs - due to re-appropriation to Heavy Engineering Corporation Ltd. to meet the urgent requirement.

(ङ) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज"-

(E) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(क) "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन और सांविधिक देयताओं की अदायगी" - 25000.00 लाख रु. सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों की पुनर्संरचना के लिए निर्णायक संतुलित निवेश से पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(a) "Implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) and payment of statutory dues" - Rs.25000.00 lakhs - due to re-appropriation from crucial balancing for restructuring of Public Sector Undertakings.

(ख) "भारी उद्योग विभाग में सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों की पुनर्संरचना के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 9500.00 लाख रु. (दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए 9400.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों की पुनर्संरचना के कार्यान्वयन के लिए पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (64809.92 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, दिसम्बर 2005 और मार्च, 2006 में 23004.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "4858'' - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों मे निवेश''- निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत:-

(क) "प्राग टूल्स लिमिटेड में निवेश''- 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.00 लाख रु. था।

(ख) "भारी इंजीनियरी निगम लि. में निवेश''- 498.50 लाख रु.।

(ग) "भारत यंत्रा निगम लि. में निवेश''- 1347.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1346.00 लाख रु. था।

(घ) "एचएमटी लिमिटेड में निवेश''- 217.00 लाख रु. ।

(ङ) "एण्ड्रु यूले एंड कंपनी लिमिटेड में निवेश'' - 239.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 238.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "4860'' - "अन्य - नमक - हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड में निवेश'' - 228.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 227.00 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "6854'' - "सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय सीमेंट निगम

(b) "Lumpsum provision for restructuring of Public Sector Enterprises in Department of Heavy Industry" – Rs.9500.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.9400.00 lakhs obtained in December, 2005) - due to re-appropriation for implementation of restructuring of various Public Sector Enterprises.

3.(I) The above savings were partly (Rs.64809.92 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.23004.00 lakhs in August 2005, December, 2005 and March, 2006 and vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "4858" -"Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings" - under the following heads:-

(a) "Investment in Praga Tools Ltd." – Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.00 lakhs.

(b) "Investment in Heavy Engineering Corporation Ltd." – Rs.498.50 lakhs.

(c) "Investment in Bharat Yantra Nigam Ltd." – Rs.1347.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1346.00 lakhs.

(d) "Investment in HMT Ltd." - Rs.217.00 lakhs.

(e) "Investment in Andrew Yule and Company Ltd." – Rs.239.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.238.00 lakhs.

(B) Major Head "4860" – "Others - Salt - Investment in Hindustan Salts Ltd." – Rs.228.00 lahks. Actual excess, however, was Rs.227.00 lakhs.

(C) Major Head "6854" – "Cement - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to

लिमिटेड को कर्ज''- 13619.85 लाख रु.।

(घा) मुख्य शीर्ष ''6858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज'' - निम्नलिखित उपक्रमों के अंतर्गत:-

(क) एण्ड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड को कर्ज''- 961.00 लाख रु.।

(ख) ''नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड को कर्ज''- 68.60 लाख रु.।

(ग) ''हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को कर्ज''- 13828.00 लाख रु.।

(घ) ''भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड को कर्ज''- 153.30 लाख रु.।

(ङ) ''इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड को कर्ज''- 3604.00 लाख रु.।

(च) ''भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड को कर्ज''- 9701.50 लाख रु.।

(छ) ''प्राग टूल्स लिमिटेड को कर्ज''- 206.98 लाख रु.।

(ज) ''एच.एम.टी. लिमिटेड को कर्ज''- 7782.43 लाख रु.।

(झ) ''भारत यंत्रा निगम लिमिटेड को कर्ज''- 6875.76 लाख रु.।

(ञ) ''भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड''- 1014.00 लाख रु.।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''6860'' - निम्नलिखित उपक्रमों के अंतर्गत:-

(क) ''कागज तथा अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - नेपा लिमिटेड को कर्ज''- 1725.00 लाख रु.।

(ख) ''अन्य - फोटो फिल्म - हिंदुस्तान फोटोफिल्म विर्निर्माण कंपनी लिमिटेड को कर्ज'' - 2540.00 लाख रु.।

Cement Corporation of India Ltd." – Rs.13619.85 lakhs.

(D) Major Head "6858"- "Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings" - under the following undertakings:-

(a) "Loans to Andrew Yule and Co. Ltd." – Rs.961.00 lakhs.

(b) "Loans to National Instruments Ltd." – Rs. 68.60 lakhs.

(c) "Loans to Hindustan Cables Ltd." - Rs.13828.00 lakhs.

(d) "Loans to Bharat Ophthalmic Glass Ltd."– Rs.153.30 lakhs.

(e) "Loans to Instrumentation Ltd." – Rs.3604.00 lakhs.

(f) "Loans to Heavy Engineering Corporation Ltd." - Rs.9701.50 lakhs.

(g) "Loans to Praga Tools Ltd."- Rs.206.98 lakhs.

(h) "Loans to HMT Ltd." – Rs.7782.43 lakhs.

(i) "Loans to Bharat Yantra Nigam Ltd." - Rs.6875.76 lakhs.

(j) "Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd."-Rs.1014.00 lakhs.

(E) Major Head "6860" – under the following undertakings:-

(a) "Paper and Newsprint - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Nepa Ltd." – Rs.1725.00 lakhs.

(b) "Others - Photofilms – Loans to Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd." - Rs.2540.00 lakhs.

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4854'' - "सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय सीमेंट निगम में निवेश'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 1604.50 लाख रु. का अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 162.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम था। समस्त व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4854" - "Cement - Investment in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Cement Corporation of India Ltd." – excess of Rs.1604.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.162.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs. The entire expenditure was met by re-appropriation of funds.